न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन

आई.ए.एस.

अपील संख्या 91/2018

रणजीत पुत्र निक्कू जाति सांसी निवासी झेरली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

—— रेस्पोडेन्ट्

——

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सूरजगढ़ दिनांक 22.10.2018 उनवानी सरकार बनाम रणजीत मु0न0 41/2018 अ0धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः–

1. श्री हजारीलाल सुनियां –एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 06.02.2019

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान नायब तहसीलदार सूरजगढ के निर्णय दिनांक 22.10.2018 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से हैः– अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 22.10.2018 विरूद्ध कानून न्याय व विरूद्ध पत्रावली होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने निर्णय दिनांक 22.10.2018 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट का वाद ग्रस्त भूखण्ड पर कब्जे की महत्वपूर्ण बात पर गौर नहीं किया तथा कानूनन कब्जाधारी को जबरन विधि की प्रकिया अपनाये बिना बेदखल नहीं किया जा सकता यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना निर्णय दिनांक 22.10.2018 पारित किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागु नहीं होते है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है क्योंकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट एक पक्षीय है इसके अलावा पटवारी हल्का ने अतिक्रमी रकबे की लम्बाई व चौड़ाई अंकित नहीं की है न ही खसरा नम्बर 420 की नाप की कोई फर्द पत्रावली पर पेश नहीं की है। विवादित अराजियात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही आबादी के काम में आ रही है तथा कानूनन आबादी की भूमि पर दफा 91 भू– राजस्व अधिनियम की कार्यवाही नहीं की जा सकती अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर न कर अपना निर्णय दिया है अदालत मातहत का निर्णय क्षैत्राधिकार से बाहर है तथा इस अराजियात पर करीब तीस घर आबाद है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास कर अहम कानूनी भूल की है क्योंकि हल्का पटवारी को परीक्षित किये बिना तथा अपीलान्ट को जिरह का अवसर दिये बिना हल्का पटवारी की रिपोर्ट का कोई कानूनी महत्व नहीं है फिर भी अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास कर अहम कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर नहीं दिया तथा न ही अपनी आदेशिका में व न

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

ही निर्णय में साक्ष्य बन्द करने का कोई आदेश पारित किया है तथा कानूनन साक्ष्य बन्द किये बिना व बिना बहस सुनकर प्रकरण का निर्णय करना विधि सम्मत नहीं है तथा कानून की भूल है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील मंजूर फरमाई जाकर योग्य अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 22.10.2018 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागु नहीं होते है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है क्योंकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट एक पक्षीय है इसके अलावा पटवारी हल्का ने अतिक्रमी रकबे की लम्बाई व चौड़ाई अंकित नहीं की है न ही खसरा नम्बर 420 की नाप की कोई फर्द पत्रावली पर पेश नहीं की है। विवादित अराजियात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही आबादी के काम में आ रही है तथा कानूनन आबादी की भूमि पर दफा 91 भू– राजस्व अधिनियम की कार्यवाही नहीं की जा सकती अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर न कर अपना निर्णय दिया है अदालत मातहत का निर्णय क्षैत्राधिकार से बाहर है तथा इस अराजियात पर करीब तीस घर आबाद है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास कर अहम कानूनी भूल की है क्योंकि हल्का पटवारी को परीक्षित किये बिना तथा अपीलान्ट को जिरह का अवसर दिये बिना हल्का पटवारी की रिपोर्ट का कोई कानूनी महत्व नहीं है फिर भी अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास कर अहम कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर नहीं दिया तथा न ही अपनी आदेशिका में व न ही निर्णय में साक्ष्य बन्द करने का कोई आदेश पारित किया है तथा कानूनन साक्ष्य बन्द किये बिना व बिना बहस सुनकर प्रकरण का निर्णय करना विधि सम्मत नहीं है तथा कानून की भूल है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2018 को खारीज फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड है जो राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलान्ट ने झोपडी व टीनशेड बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया अदालत मातहत द्वारा उक्त विवादित प्रकरण में ग्राम झेरली स्थित भूमि खसरा नम्बर 420 कुल रकबा 0.40 हैक्टर गै0मु0 जोहड की भूमि है। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिससे उसके द्वारा किया गया अतिक्रमण वैध माना जा सकें। अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण की भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि है जो कि राजकीय भूमि होने से प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। जिसपर किसी प्रकार का अतिक्रमण वैध नहीं माना जा सकता। न्यायालय की दृष्टि में अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारीज की जाती है। अपील खारीज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू